10 दस रुपये TEN RUPEES 5 पाँच रुपये FIVE RUPEES

214

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /06/निगरानी

R 362/I/06

मोड़सिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत उम्र लगभग 68 वर्ष, धंधा काश्तकारी, निवासी ग्राम धामनोद, तहसील व जिला रतलाम म.प्र.

.... निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

1– संतोषदास पिता रामदास बैरागी आयु लगभग 65 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी ग्राम धामनोद, तहसील व जिला रतलाम

2– मोहनदास पिता चतरदास पुजारी आयु लगभग 78 वर्ष, धंधा कृषि व पुजारी निवासी ग्राम धामनोद, तहसील व जिला रतलाम

...... अनावेदकगण

माननीय अधिनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 169/02–03/अपील में पारित आदेश दिनांक 6–12–2005 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित सबल आधारों पर यह निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता के तहत

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

अपील के आधार –

1. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने प्रकरण की परिस्थितियों को समझे बिना विवादित आदेश पारित करने में गंभीरतम विधि एवं न्यायिक त्रुटि की है।

निरन्तर–2

214

140

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-362-एक/2006

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 21-01-2015 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	